पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः 14703 दिनांकः 11/11/2022

ई–निविदा संख्या 02/2022–23 की प्रि–बिड बैठक कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित ई–निविदा संख्या 02/2022–23 के अंतर्गत **RTTP Act 2012** की धारा 22 एवं **RTTP Act 2013** के नियम 46 की पालना में निविदा सूचना अनुसार प्रि–बिड बैठक दिनांक 11.11.2022 को आयोजित करने का प्रावधान किया गया । नियत दिनांक को प्राप्त एक अभ्यावेदन के निर्णयार्थ उपापन समिति की बैठक आयोजित की गई । जिसमें प्राप्त अभ्यावेदन पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

1. निविदा अन्तर्गत दर आमंत्रण हेतु प्रस्तुत **BOQ** में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की जो दरे ली गई है वह श्रम विभाग की नई अधिसूचना क्रमांक 17953 दिनांक 28.06.2022 द्वारा नयी दरे लागू हो गई है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना के पृष्ठ 7 पर उल्लेखित वित्तीय बिड प्रपत्र के कॉलम संख्या 4 के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 सफाई कार्य हेतु श्रमिक के लिए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 252 रूपये एवं क्रम संख्या 2 सफाई कार्य हेतु सुपरवाईजर के लिए 264 रूपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान लिया गया है। अभ्यावेदन में उल्लेखित श्रम विभाग की उक्त अधिसुचना दिनांक 28.06.2022 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उक्त **BOQ** के आइटम संख्या 1 सफाई कार्य हेतु श्रमिक के लिए संशोधित दर 252 रूपये प्रतिदिन एवं 6500 रूपये प्रतिमाह हो बढाकर 259 रूपये प्रतिदिन एवं 6734 रूपये प्रतिमाह तथा आईटम संख्या 2 सफाई कार्य हेतु सुपरवाईजर के लिए 264 रूपये प्रतिदिन एवं 6864 रूपये प्रतिमाह को बढाकर 271 रूपये प्रतिदिन एवं 7046 रूपये पुनरीक्षित कर दिया है। अतः आमंत्रित निविदान्तर्गत निविदा प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 7 पर उल्लेखित **BOQ** के आईटम संख्या 1 सफाई कार्य हेतु श्रमिक के लिए श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कॉलम संख्या 4 में अंकित 252 रूपये के स्थान पर 259 रूपये प्रतिदिन एवं 6500 रूपये के स्थान पर 6734 रूपये प्रतिमाह तथा आईटम संख्या 2 सफाई कार्य हेतु सुपरवाईजर के लिए 264 रूपये प्रतिदिन के स्थान पर 271 रूपये प्रतिदिन एवं 6864 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 7046 रूपये प्रतिमाह संशोधित कर निविदांतर्गत भाग लेने वाले निविदादाताओ हेतु सुचनार्थ **SPP Portal** एवं **e-proc portal** तथा संबंधित सूचना पट्ट पर अपलोड व प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया। श्रम विभाग द्वारा संशोधित दरों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर में समय–समय पर वृदि होने पर संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान निविदा प्रपत्र के बिन्दु संख्या 49 पृष्ठ संख्या 14 पर भी लिया हुआ है।

अन्त में सभी सदस्यो का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

11.11.2022 11/11/22 11/11/22 11/11/22 11.11.22